



राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 392/2018

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
मांगीलाल भाकर मु0 पो0 रोल] तह0 जायक] नागौर, राजस्थान		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपनिदेशक समावेशित शिक्षा, प्रारम्भिक शिक्षा परिषद जयपुर

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 13-03-2018

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्रीमती रक्ष पारीक, उपायुक्त, उपस्थित।
3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 18-7-17 कार्यालय उप निदेशक समावेशी शिक्षा राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद को प्रस्तुत कर राजस्थान राज्य के समस्त 33 जिलों में जिलेवार विशेष शिक्षकों के चयन/भर्ती, 2012 हेतु स्वीकृत विद्यालयवार पदों आदि के सम्बन्ध में कतिपय सूचना चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।
5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि अपीलार्थी सूचना का सम्बन्ध निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर से था। अतः निदेशालय, बीकानेर से प्राप्त कर सूचना पत्र दिनांक 16-11-17 से अपीलार्थी को प्रेषित कर दी गई। यह भी निवेदन किया कि आयोग में द्वितीय अपील प्रस्तुत करने के बाद पुनः अपीलार्थी को अपीलोत्तर की प्रति पृष्ठांकित करते हुए सूचना का प्रेषण कर दिया गया है।
6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 7-2-18 मय संलग्नक प्रस्तुत किया है, प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित की है से प्रत्यर्थी के पैरा संख्या 5 में किये गये कथन की पुष्टि होती है।
7. अपीलार्थी ने प्रतिक्रिया दिनांक 19-2-18 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उन्हें वांछित सूचना से भिन्न सूचना दी गई है, अतः वांछित सूचना दिलवाई जावे।
8. पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना राजस्थान के समस्त जिलों से सम्बन्धित थी जबकि भिन्न भिन्न स्तरों पर राज्य लोक

सूचना अधिकार पदाभिहित हैं। एक ही राज्य लोक सूचना अधिकारी से 33 जिलो से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाने हेतु एकल खिड़की की भांति सूचना उपलब्ध करवाने की अपेक्षा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत नहीं की जा सकती है।

9. अपीलार्थी का सूचना का आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) सपठित धारा 6(3) के अनुकूल नहीं है फिर भी प्रत्यर्थी द्वारा समुचित कार्यवाही करते हुए जो सूचना प्रदान कर दी गई है, पर्याप्त है। अपीलार्थी की प्रतिक्रिया बलहीन है।

10. अभिलेखानुसार सूचना प्रदत्त है। अपील में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण अपील का खारिज किया जाना समीचीन है।

11. अस्तु, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।

12. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

13. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त